सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/428162/I/1257469/2026 दिनांक :21-08-2026

प्रति,
समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 12/08/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 12/08/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

1. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा :-

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दिनांक 12.08.2026 की स्थिति में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 9754 शिकायतें लंबित पाई गईं। योजना-वार समीक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 5486, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 1690 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में 1045 शिकायतें लंबित पाई गईं।जिला-वार समीक्षा में भोपाल में 1462, जबलपुर में 479, सागर में 452, दमोह में 387 एवं विदिशा में 375 शिकायतें सर्वाधिक लंबित पाई गईं। संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रतिदिन परीक्षण करते हुए समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। अत्यधिक अवधि से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाए तथा शिकायतों के अनावश्यक हस्तांतरण की कार्यवाही न की जाए।

2. सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा :-

सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान ग्वालियर, भोपाल, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, दमोह एवं देवास आदि जिलों में दीर्घ अवधि से लंबित शिकायतें पाई गईं। विशेष रूप से ग्वालियर की एक शिकायत 554 दिवस, शिवपुरी की एक शिकायत 509 दिवस, भोपाल की शिकायतें 452 दिवस एवं 398 दिवस, भिण्ड की शिकायत 151 दिवस तथा छिन्दवाड़ा की शिकायतें 383 दिवस एवं 349 दिवस से लंबित पाई गईं। संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर पात्र प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। अत्यधिक अवधि से लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्वक निराकरण उपलब्ध कराया जाए।

3. लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर लंबित आवेदन की समीक्षा :-

लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर दिनांक 12.08.2026 की स्थिति में लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। कुल 893 आवेदन लंबित पाए गए, जिनमें 3 आवेदन समय-सीमा बाह्य, 8 आवेदन आज, 5 आवेदन 2 दिवस में, 8 आवेदन 3 दिवस में तथा 869 आवेदन 3 दिवस से अधिक समय में लंबित हैं।जिला-वार समीक्षा में मुरैना में 134, पन्ना में 92, सागर में 63, दमोह में 56, मंदसौर में 48, रीवा में 35, छिन्दवाड़ा में 35, आगर-मालवा में 34, नरसिंहपुर में 32 एवं बालाघाट में 32 आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। समय-सीमा बाह्य प्रकरणों को तत्काल निराकृत किया जाए।

5. विभिन्न पोर्टलों यथा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, दिव्यांग विवाह एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की

समीक्षा :-

• पेंशन पोर्टल पर निर्णय हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला BHIND, NARSINGHPUR, SATNA, MORENA एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाए तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का विशेष प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

• पेंशन पोर्टल पर DSC Sign हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला BHOPAL, RAISEN, KHANDWA, MANDLA एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने के तत्काल उपरांत DSC Sign की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।

• पेंशन हितग्राहियों को माह जून 2026 में हुए असफल भुगतान की समीक्षा के दौरान माह में कुल असफल भुगतान की संख्या के आधार पर जिला INDORE (1150), REWA (894), SAGAR (850), DHAR (661) एवं SIDHI (660) में सर्वाधिक असफल भुगतान पाए गए। साथ ही 06 माह से सतत् असफल भुगतान के प्रतिशत के आधार पर जिला DINDORI (40.15%), MANDSAUR (38.08%), INDORE (31.04%), UMARIA (30.82%) एवं MANDLA (28.76%) में स्थिति पाई गई। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि असफल भुगतान के प्रत्येक प्रकरण का कारणवार परीक्षण कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

• राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला SAGAR, DINDORI, CHHINDWARA, BALAGHAT एवं VIDISHA में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

• दिव्यांग विवाह योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला VIDISHA, MANDSAUR, DHAR, RAJGARH एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार समय-सीमा में स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

• मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला CHHATARPUR, RAISEN, CHHINDWARA, UJJAIN एवं PANDHURNA में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला UJJAIN, RAISEN, CHHATARPUR, AGAR-MALWA एवं KHANDWA में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

• कल्याणी विवाह योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला VIDISHA, CHHATARPUR, CHHINDWARA, KATNI एवं SAGAR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का समय-सीमा में परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों पर e-Sign की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्र हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान की प्रविष्टि विवाह पोर्टल पर दर्ज की जाए।

• कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से 12.08.2026 तक की स्थिति की समीक्षा के दौरान लाभ हेतु लंबित पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर जिला SAGAR (1283), SATNA (1149), UMARIA (802), VIDISHA (777) एवं KATNI (597) में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित पात्र हितग्राहियों के भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें

12. Transgender Protection Cell एवं जिला Transgender Board के गठन की समीक्षा :-

Transgender Protection Cell की जानकारी सीहोर, हरदा, निवाड़ी, खण्डवा, शहडोल, भिण्ड, मुरैना एवं टीकमगढ़ को छोड़कर शेष जिलों से अप्राप्त पाई गई। जिला Transgender Board के गठन उपरांत बोर्ड की आयोजित बैठकों की जानकारी भी सभी जिलों से अप्राप्त पाई गई। साथ ही भिण्ड एवं मऊगंज में जिला

स्तरीय Transgender Board का गठन नहीं हुआ है। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय Transgender Board का गठन तत्काल सुनिश्चित करते हुए Transgender Protection Cell की जानकारी एवं बोर्ड की बैठकों की अद्यतन जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए तथा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

13. भारत सरकार की SMILE-Beggary Scheme की समीक्षा :-

भारत सरकार की SMILE-Beggary Scheme अंतर्गत जिला इन्दौर, उज्जैन, छतरपुर (खजुराहो), खण्डवा (ओंकारेश्वर), जबलपुर, भोपाल, रतलाम, अनूपपुर (अमरकंटक), निवाड़ी (ओरछा), खरगोन (महेश्वर), सतना (चित्रकूट) एवं ग्वालियर को पोर्टल पर E-Anudan में पंजीयन कराए जाने के संबंध में समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान सतना (चित्रकूट), अनूपपुर (अमरकंटक), निवाड़ी एवं खरगोन (महेश्वर) में भिक्षुक केन्द्र की स्थापना/संचालन की अद्यतन जानकारी अप्राप्त पाई गई। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि SMILE-Beggary Scheme अंतर्गत E-Anudan पर पंजीयन एवं भिक्षुक केन्द्र की स्थापना/संचालन संबंधी कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर अद्यतन जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत Social Access Audit की समीक्षा :-

सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत संभागीय/जिला मुख्यालय के समस्त शासकीय सार्वजनिक कार्यालयों का Social Access Audit किए जाने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा की गई। सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभाग अंतर्गत जिलों में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का Social Access Audit की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए।

Digitally signed by
SUCHITA TIRKEY BECK
Date: 21-08-2026
12:08:21

कार्यलय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

क्र./VC/428162/I/1257469/2026 दिनांक :21-08-2026

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
5. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
6. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी– सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

कार्यलय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)